

# कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद

पत्रांक 12021 14-1 मुरादाबाद दिनांक, अक्टूबर 12, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय :-

जनपद अमरोहा में बदांयू-बिजनौर मार्ग (एन.एच-51) किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या-79, तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हेतु अनुमति के तथा (संशोधित वन भूमि 0.075028 हेतु) संरक्षित वनभूमि एवं 08 बाधक वृक्षों को विदोहन हेतु अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :-

वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/45/2017/एफ0सी0/69 दिनांक 08.08.2017

## महोदय

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (दिनांक 08-08-2017) द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्र संख्या-963/14-1, दिनांक 11-10-2017 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या/अभिलेख की 3 मूल पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है—

Observation No.	Observation of GOI	Reply/Modification
1-	The Information provided in part I at A-I(vii) regarding estimated cost of Proposal is incorrect.	पार्ट I के पैरा A-I(vii) में एस्टीमेंट की लागत ठीक कर दी गयी है, जोकि प्रस्ताव के पेज संख्या 01 पर संलग्न है।
2-	Various document of the proposal are without name, date & seal of the signing authorities.	प्रस्ताव में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करते हुए उनके सम्मुख नाम, तिथि, एवं सील लगा दी गयी है।
3-	Geo coordinates all points (especially area defining curved boundaries) of proposed forest land for diversion has not been provided and needs submission.	प्रस्तावित स्थल का जियोरिफरेन्शा मैप पर सभी कोर्डिनेट अंकित करते हुए प्रस्ताव के पेज संख्या 56 पर संलग्न है।
4-	NPV calculation for proposed forest land has been done with incorrect rates.	एन.पी.वी. की संशोधित गणना प्रस्ताव के पेज संख्या 43 पर संलग्न है।
5-	As per land schedule for calculation of proposed forest land for diversion, the calculation is based on 19.61mts width of strip as per layout plan the same strip with is shown as 19.35mts. this issue needs clarification.	गणना को संशोधित कर दिया गया है, जोकि प्रस्ताव के पेज संख्या 52 पर संलग्न है।
6-	Information regarding working plan priscription at Sr.5 of part II is incorrect.	वर्किंग प्लान के अनुसार सूचना अंकित कर दी गयी है, जोकि प्रस्ताव के पेज संख्या 07 पर संलग्न है।
7-	Estimate of crown density is incorrect and needs conformity in Hindi and English version of part II of the proposal.	हरियाली का घनत्व इंग्रिज एवं हिन्दी में संशोधित कर दिया गया है, जोकि प्रस्ताव के पेज संख्या 07 एवं 10 पर संलग्न है।
8-	Compensatory afforestation scheme attached with the proposal is not as per guidelines contained in chapter 3 of Hand book of FCA 2004.	सी0ए0 स्टीमेंट गार्ड लाईन्स के अनुसार संशोधित तैयार कर प्रस्ताव के पेज संख्या 44 से 47 तक संलग्न है।
9-	Site Inspection report of DFO does not provided legal status proposed forest land for diversion.	स्थलीय निरीक्षण की संशोधित रिपोर्ट प्रस्ताव के पेज संख्या 37 पर संलग्न है।
10-	Site Suitability Certificate of compensatory afforestation is not proper and needs revision.	संशोधित सूचना प्रस्ताव के पेज संख्या 41 पर संलग्न है।
11-	Certificate issued by DM under FRA is witout seal and it needs revision to incorporate issues regarding right of others forest dwelling communities etc.	जिलाधिकारी का एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र संशोधित कर प्रस्ताव के पेज संख्या 38 पर संलग्न है।
12-	The online proposal contains two compensatory afforestation estimates and both are not as per chapter 3 of Handbook of FCA 2004 and it does not account for cost escalation due to inflation.	सी0ए0 स्टीमेंट 10 वर्षों के रखरखाव सहित गार्ड लाईन्स के अनुसार संशोधित कर प्रस्ताव के पेज संख्या 44 से 47 तक संलग्न है।

55271-2

13-	Correct part III, IV and V has not been uploaded with the proposal.	अॅनलाइन पार्ट 2 के रिकमडेशन में डिलिट का ऑपसन न आने के कारण सही पार्ट 3 अपलोड नहीं किया जा सका है। सही पार्ट 3 ई.डी.एस. में संलग्न कर दिया गया है।
-----	---	--

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(आर०पी० वर्मी)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 1202 14-1 उक्तादिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्रांक-963/14-1, दिनांक 11-10-2017 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर०पी० वर्मी)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

9  
✓

भाग - 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

नहीं

हाँ

एआगोप वनाधिकारी अमरोहा जारी  
दी गयी दाखि के सहभार व्याप्त  
करते हुए पहली संघर्षित सहित  
पूछित हुए

हस्ताक्षर

वन संरक्षक एवं लोकों निवेश  
नाम वृ पट्ट नाम  
मुशादाबाद लोक उत्तर इदेह  
मुशादाबाद

सरकारी मोहर

14. स्थल जहाँ की वन गूमि शामिल की गयी है, क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ या नहीं), यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में सलग्न करें।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग - ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि : 8/8/2016

स्थान : मुशादाबाद